



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10112022-240182
CG-DL-E-10112022-240182

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5013]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 10, 2022/कार्तिक 19, 1944

No. 5013]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 10, 2022/KARTIKA 19, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2022

का.आ. 5232(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.4176(अ) दिनांक:16 नवंबर, 2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा कर्नाटक राज्य के बल्लारी जिले में बेल्लारी - मोका -कण/आपबॉर्डर इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रस्तावित भारतमाला परियोजना के कि.मी. 0.00 से कि.मी.34.144 (चौथा मेन रोड 5 वां क्रॉस ऑप, गंगापरमेश्वरी कल्याण मंतप्पा विद्यानगर बेल्लारी तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ाकरणे / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "29th दिसंबर 2021" को "द हिंदू" और "कन्नड़ प्रभा" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य के बल्लारी जिले में बेल्लारी - मोका -कण/आपबॉर्डर इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रस्तावित भारतमाला परियोजनाके कि.मी. 0.00 से कि.मी. 34.144 के लिए अर्जन की जानेवाली संरचना रहित अथवासंरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण.

राज्य का नाम: कर्नाटक		जिले का नाम: बल्लारी			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: कुरुगोडु				
	गांव का नाम: वेणी वीरपुरा				
1	338	सरकारी	शुष्क	0.1902	कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी), बेंगलोर (338/सी2)
2	339	सरकारी(सड़क)	शुष्क	0.2293859	एँल्.एँफ़. रोड (339/*)
3	341	सरकारी	शुष्क	0.1902	कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी), बेंगलोर (341/बी3)
			कुल	0.6097859	

[फा. सं. NHAI/LA/RO-BNG/KNT/HOSPET/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th November, 2022

S.O. 5232(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O.4761(E) dated:16th November, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of Bellary-Moka-KN/TS Border as part of Hassan-Raichur Economical Corrioder under Bharatmala Pariyojana in the stretch of land from Km.0.00 to Km.34.144 (Special Land Acquisition Officer, NHAI, Ballari, at 4th Main Road 5th Cross Opp, Gangaparameshwari Kalyana Mantappa Vidhyanagar Ballari, in the district of BALLARI in the state of KARNATAKA

And whereas the substance of the said notification has been published in " **The Hindu**" and " **Kannada Prabha**" both dated 29th December, 2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the Ballari-Moka-KN/TS Border as part of Hassan-Raichur Economical Corrioder under Bharatmala Pariyojana in the stretch of land from Km.0.00 to Km.34.144 in the district of BALLARI in the state of KARNATAKA

State: KARNATAKA		District: BALLARI			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Kurugodu				
	Village: Veni Veerapura				
1	338	Government	Dry	0.1902	Karnataka Industrial Area Development Board(KIADB), Bangalore 338/C2
2	339	Government(ROAD)	Dry	0.2293859	L.F. Road 339/*

3	341	Government	Dry	0.1902	Karnataka Industrial Area Development Board(KIADB), Bangalore 341/B3
			TOTAL	0.6097859	

[F. No. NHAI/LA/RO-BNG/KNT/HOSPET/3D]

RAJESH GUPTA, Director